



आदेश

राजकीय कलां स्कूल, रोहतक बन्द करने के लिये गये निर्णय के दृष्टिगत उसमें कार्यरत अमले का समायोजन इस शर्त पर आई.टी.आई. काडर में इस शर्त पर किया जाता है कि उनको आई.टी.आई. साईड में वरिष्ठता उस तिथि से दी जाएगी जिस तिथि से वह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यग्रहण करेंगे, को निम्न प्रकार से नियुक्त किया जाता है:-

क्र०	कर्मचारी का नाम/पदसंज्ञा	जिस पद पर समायोजन किया जा रहा है	जिस संस्थान में नियुक्त किया जा रहा है	कार्यालय टिप्पणी
1.	श्रीमति सुशीला देवी, मससभा अध्यापक हिन्दी	भाषा अध्यापक हिन्दी	नाथूसरी चौपटा	राजकीय कलां स्कूल रोहतक के बन्द होने के कारण
2.	श्री भूपिन्द्र सिंह, कम्प्युटर अवेयरनेश ग्राफिक	पेन्टर	करनाल	—यथो—
3.	श्री बलजीत सिंह, कले मोडलिंग	इजी० ड्राईंग अनुदेशक	शाहबाद(मा०)	—यथो—
4.	श्री राजेन्द्र कुमार, आर्ट मास्टर	पेन्टर	बराड़ा एट होली	—यथो—
5.	श्री प्रीत सिंह, आर्ट मास्टर	पेन्टर	पंचकुला	—यथो—
6.	श्रीमति मन्दीप कौर, आर्ट मास्टर	पेन्टर	अम्बाला शहर	—यथो—

दिनांक 1.7.2015

एस.के. गोयल, आई.ए.एस.

महानिदेशक

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक टीई/कलां स्कूल/समायोजन/प्रशासन-11A 694 दिनांक 03/07/2015
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय आर्ट स्कूल, रोहतक।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नाथूसरी चौपटा, करनाल, शाहबाद मारकण्डा, बराड़ा एट होली, पंचकुला तथा अ/शहर।
3. सहायक निदेशक प्रशिक्षण-1, सहायक निदेशक प्रशासन-11 व 4.
4. सहायक निदेशक प्रशिक्षण-8 (वेबसाईट के लिउ)

नोट:- कर्मचारियों की भारमुक्त एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट तुरन्त निदेशालय को भिजवायें।

सहायक निदेशक प्रशासन-11A

कृते: महानिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।